पत्रांक– 11 न0वि0 अभि0(को0) 24/2017 808 न0वि0 एवं आ0वि0

बिहार सरकार

नगर विकास एवं आवास विभाग

प्रेषक,

अधीक्षण अभियंता,
बिहार शहरी विकास अभिकरण,
नगर विकास एवं आवास विभाग
बिहार, पटना।

सेवा में,

कार्यपालक अभियंता,
जिला शहरी विकास अभिकरण–2,
पटना।

पटना, दिनांक–02/7/18

विषयः– ई–टेंडरिंग पद्धति द्वारा पटना नगर निगम अन्तर्गत निविदा आमंत्रण सूचना सं0–01/2018–19 के ग्रुप सं0–05 के कार्य लोहानीपुर विजय सिंह चौराहा से पृथ्वीराज चौराहा तक एवं पृथ्वी चौराहा से मीरा सिन्हा के निवास तक पी0सी0सी0 पथ एवं भू–गर्भ नाला का निर्माण कार्य (अनियोजित अभियंता) के निविदा के संबंध में।

प्रसंगः– आपका पत्रांक–466 दिनांक–06.06.2018

महाशय,

उपर्युक्त विषयक प्रासंगिक पत्र द्वारा तुलनात्मक विवरणी एवं प्राप्त निविदाकारों के डाउनलोडेड निविदा कागजातों के समीक्षोपरान्त मान्य/अमान्य निविदाकारों की सूची निम्नवत् हैः–

ग्रुप सं0	कार्य का नाम	मान्य निविदाकार (निविदा आमंत्रण सूचना के शर्तो को पालन करने के कारण।	अमान्य निविदाकार (निविदा आमंत्रण सूचना के कंडिकाओ के अनुपालन नहीं करने के कारण)
05.	पटना नगर निगम अन्तर्गत लोहानीपुर विजय सिंह चौराहा से पृथ्वीराज चौराहा तक एवं पृथ्वी चौराहा से मीरा सिन्हा के निवास तक पी0सी0सी0 पथ एवं भू–गर्भ नाला का निर्माण कार्य (अनियोजित अभियंता)।	(1) श्री अरूण कुमार विद्यार्थी (उद्धृत दरः– B.O.Q से 10% कम दर पर।) (2) श्री शंकर शर्मा (उद्धृत दरः– B.O.Q से 10% कम दर पर।)	(1) श्री विकास कुमार (उद्धृत दरः– B.O.Q से 10% कम दर पर।) कंडिका 40(b) का अनुपालन नहीं करने के कारण

उपरोक्त 03 निविदाकारों में से 02 निविदाकारों की निविदा, निविदा आमंत्रण सूचना के कंडिका का अनुपालन करने के कारण मान्य है।

उक्त मान्य दो निविदाकारों का उद्धृत दर एकसमान (परिमाण विपत्र की राशि से 10% कम) रहने के कारण सफल निविदाकार का चयन करने हेतु निविदा आमंत्रण सूचना के अनुसार लौट्री की प्रक्रिया अपनायी जाएगी।

तद्नुसार लॉट्री की प्रक्रिया दिनांक– 09.07.2018 को 4:00 बजे अधोहस्ताक्षरी के कार्यालय कक्ष में किया जायेगा। निदेश दिया जाता है कि उक्त मान्य निविदाकारों को अपने स्तर से उक्त तिथि को ससमय लॉट्री में भाग लेने हेतु सूचित करते हुए उनकी उपस्थिति सुनिश्चित करायी जाय।

उक्त लॉट्री प्रक्रिया में ससमय आप अपनी उपस्थिति भी सुनिश्चित करेंगे। मान्य/अमान्य निविदाकारों को यदि किसी प्रकार की आपत्ति हो तो वे इस कार्यालय में तीन दिनों के अन्दर उपस्थित होकर अपनी आपत्ति दर्ज कर सकते है।

विश्वासभाजन

02/7/18

अधीक्षण अभियंता,
बिहार शहरी विकास अभिकरण,
नगर विकास एवं आवास विभाग
बिहार पटना।

E:\V N File 2014\Patna-2\Patna-2 Letter.docx